भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1567

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस बल में रिक्तियां

1567. श्री देवजी एम. पटेल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि अनुसार, राज्य-वार देश में पुलिस बलों के स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में पुलिस बल में कमी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) देश में पुलिस बल के समग्र स्तर में सुधार और विकास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए है;
(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार पुलिस बल के विकास हेतु आंवटित, संवितरित और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ड़) क्या सरकार द्वारा गठित एक समिति ने उक्त कमी को दूर करने के लिए विशेष भर्ती अभियान की संभावनाओं का पता लगने के लिए सिफारिश की थी; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क): पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2015 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 22,63,222 पुलिस कर्मियों की कुल स्वीकृत संख्या की तुलना में 17,21,101 कर्मी तैनात थे, जिससे 5,42,986 कर्मियों की कमी है। ब्यौरे अनुलग्नक-। में हैं।

<u>लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 1567</u>

(ख) और (ग): चूंकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। (प्रविष्टि 1 और 2) में आने के कारण राज्य के विषय हैं, इसलिए संबंधित राज्यों में पुलिस कर्मियों का पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। जहां तक सीएपीएफ और एआर का संबंध हैं, इनमें 964564 की अधिकृत संख्या की तुलना में कुल रिक्तियां 65739 हैं

सीएपीएफ और असम राइफल्स में रिक्तियां, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्रों, नए गठन आदि के कारण उत्पन्न हुई हैं, जोकि एक नियमित जारी रहने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया है। सीधी भर्ती, पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति, जैसा कि भर्ती नियमों में निर्धारित है, जैसी भर्ती की अनेक पद्धतियों द्वारा रिक्तियों को भरा जाता है। इसके अतिरिक्त, सीएपीएफ बल का संवर्धन एक अनवरत प्रक्रिया है जिसे बलों की प्रशासनिक और आपरेशनल आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

<u>लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 1567</u>

(घ) पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के तहत राज्यों को जारी निधियों के ब्यौरे अनुलग्नक-।। में सूचीबद्ध हैं।

(ड.)और(च): गृह मंत्रालय संबंधी समिति समय-समय पर पुलिस बलों की दक्षता मे सुधार करने के लिए भर्ती और अन्य प्रासंगिक मुद्दों का समाधान करने के उपायों की सिफारिश करती है। चूंकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। (प्रविष्टि 1 और 2) में आने के कारण राज्य के विषय हैं इसलिए, संबंधित राज्यों में पुलिस बलों का पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 1567

पुलिस बलों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत, वास्तविक और रिक्ति की स्थिति (दिनांक 01.05.2015 की स्थिति के अनुसार)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल		
		स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	69,796	56,884	12,912
2.	अरुणाचल प्रदेश	12,764	11,305	1,459
3.	असम	64,343	51,915	12,428
4.	बिहार	112,554	70,858	41,696
5.	छत्तीसगढ	68,099	55,215	12,884
6.	गोवा	8,093	6,791	1,302
7.	गुजरात	99,423	73,313	26,110
8.	हरियाणा	61,681	41,690	19,991
9.	हिमाचल प्रदेश	16,490	13,784	2,706
10.	जम्मू और कश्मीर	80,100	69,215	10,885
11.	झारखंड	73,713	56,488	17,225
12.	कर्नाटक	107,053	73,746	33,307
13.	केरल	48,795	49,437	-
14.	मध्य प्रदेश	101,648	90,628	11,020
15.	महाराष्ट्र	191,179	179,676	11,503
16.	मणिपुर	32,080	24,939	7,141
17.	मेघालय	14,858	12,418	2,440
18.	मिजोरम	11,264	9,515	1,749
19.	नागालैंड	21,640	21,863	-
20.	ओडिशा	60,258	49,992	10,266
21.	पंजाब	78,455	75,671	2,784
22.	राजस्थान	104,061	95,225	8,836

......2/-

अनुलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 1567

23.	सिक्किम	6,115	4,801	1,314
24.	तमिलनाडु	35,830	112,649	23,181
25.	तेलंगाना	60,715	48,475	12,240
26.	त्रिपुरा	27,513	23,852	3,661
27.	उत्तर प्रदेश	364,200	165,040	199,160
28.	उत्तराखंड	20,836	18,850	1,986
29.	पश्चिम बंगाल	111,176	65,746	45,430
30.	अं.और नि. द्वीपसमूह	4,468	3,865	603
31.	चंडीगढ	6,721	5,991	730
32.	दा. और न. हवेली	330	253	77
33.	दमण और दीव	410	351	59
34.	दिल्ली	82,242	77,083	5,159
35.	लक्षद्वीप	349	305	44
36.	पुदुचेरी	3,970	3,272	698
अखिल भारत		22,63,222	1,721,101	5,42,986

स्रोत: बीपीआरएंडडी

अनुलग्नक-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 1567

वर्ष 2013-14 से 2015-16 और चालू वर्ष 2016-17 (दिनांक**1.5.2016** की स्थिति के अनुसार) के दौरान एमपीएफ योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को जारी निधियां और उनका उपयोग

(करोड़ रूपए में)

क्रसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013-14		2014-15		2015-16		चालू वित्त वर्ष 2016-17	
		जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	आबंटित	
1	आन्ध्र प्रदेश	85.92	26.04	54.17		32.56	दिनांक 01.04.2017 से उपयोग प्रमाण-पत्र देय	22.68	
2	अरुणाचल प्रदेश	10.77	9.29	9.69		3.05		3.64	
3	असम	59.93	0.00	43.29		3.29		24.48	
4	बिहार	55.99	14.35	49.08		26.57		25.62	
5	छत्तीसगढ	30.88	27.87	37.36		14.24		9.01	
6	गोवा	2.76	1.30	1.86		0.13		0.95	
7	गुजरात	78.43	71.17	72.65		23.75		23.72	
8	हरियाणा	21.61	21.61	28.25		14.74		10.64	
9	हिमाचल प्रदेश	7.10	6.20	5.75		0.44		3.25	
10	जम्मू और कश्मीर	101.00	101.00	105.17		35.88		37.00	
11	झारखंड	29.86	29.86	34.52		22.44		8.54	
12	कर्नाटक	77.50	77.50	103.65		39.45		35.58	
13	केरल	48.26	37.39	42.00		2.01		14.94	
14	मध्य प्रदेश	61.37	21.00	58.18		26.80		25.14	
15	महाराष्ट्र	92.93	0.00	76.65		50.88		43.69	
16	मणिपुर	20.64	10.73	28.45		7.79		8.86	
17	मेघालय	8.12	8.09	6.98		0.47		3.48	
18	मिजोरम	17.92	15.89	19.03		5.41		4.43	
19	नागालैंड	33.88	33.88	31.39	14.87	13.71		9.96	
20	ओडिशा	53.71	53.71	42.92		19.46		14.47	
21	पंजाब	30.50	30.50	38.13		20.67		15.23	
22	राजस्थान	62.83	62.83	102.50		34.18		28.98	

.....2/-

अनुलग्नक-II
लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 1567

23	सिक्किम	5.09	0.00	3.57		0.22		1.64	
24	तमिलनाडु	69.95	69.95	85.74	53.09	63.90		32.31	
25	तेलंगाना	20.19	18.67	22.69		7.00		7.27	
26	त्रिपुरा	0.00	0.00	68.13		16.32		16.22	
27	उत्तर प्रदेश	176.08	176.08	169.23		69.99		58.60	
28	उत्तराखंड	12.89	12.89	8.81		3.74		3.12	
29	पश्चिम बंगाल	62.24	2.55	47.40		35.52		26.80	
	कुल	**1338.35**	**940.35**	**1397.24**	**67.96**	**594.68**		**520.25**	

*****